न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 124/2018 निर्णय दिनांक :– 23.7.18

उनवान

1. जमीला बेगम पत्नी अब्दुल हफीज
2. मोहम्मद इरशाद पुत्र अब्दुल हफीज
3. गुलजार अहमद पुत्र अब्दुल हफीज
4. उमरदराज पुत्र अब्दुल हफीज
5. शहजाद पुत्र जहूर मोहम्मद
6. बशीर पुत्र अब्दुल शकूर
7 नशीर पुत्र अब्दुल शकूर
8. इब्राहिम पुत्र अब्दुल शकूर
9. शकीला पत्नी आशिक
10. मोहम्मद रफीक पुत्र आशिक
11. शब्बीर पुत्र आशिक
12. सगीर पुत्र आशिक
13. शाबीर पुत्र आशिक
14. जकीर पुत्र आशिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

15. आसिफ पुत्र आशिक

16. खातुन पत्नी वहीद

17. शाहिद पुत्र वहीद जरिये नाबालिग संरक्षक माता स्वयं खातुन पत्नी वहीद समस्त जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 1 कस्बा चाकसू जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलेशर पुत्र ईस्माइल खाँ.

2. नाशीर हुसैन पुत्र गुख्तयार अली

3. इकत्यार अली पुत्र मुख्तयार अली

4. बाबू खाँ पुत्र ईस्माइल खाँ

5. मुश्ताक अली पुत्र ईस्माइल खाँ

5. रशीद खाँ पुत्र ईस्माइल खाँ

7. अहमद अली पुत्र ईस्माइल खाँ

8. एजाद पुत्र ईस्माइल खाँ

समस्त जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 1 कस्बा चाकसू जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि :–

वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 6914 रकबा 5.14 ख0 नं0 6915रकवा 0.28 ख0 नं0 6924 रकबा 0.48 ख0 नं0 6925 रकबा 0.48 ख0नं0 6940 रकबा 0.27 ख0 नं0 6941 रकवा 0.05 ख0 नं० 6942 रकबा 0.48 ख नं0 6947 रकबा 0.54 ख0 नं0 6961 रकबा 0.10 ख0 नं0 6992 रकबा 0.42 ख0 नं0 6993 रकबा 0.75 ख09 नं0 6994 रकबा 0.79 ख0 नं0 6995 रकबा 0.28 ख0 नं0 6996 रकबा 0.63 ख0नं0 6997 रकबा 0.02 ख0 नं० 6998 रकबा 0.51 ख0 नं0 6999 रकबा 0.26 ख0 नं0 7000 रकबा 0.43 ख0 नं0 7001 रकबा 0.96 ख0 नं0 7002 रकबा 0.04 ख0 नं० 7003 रकबा 0.07 ख0 नं० 7004 रकबा 0.16 ख0 नं0 7005 रकबा 0.08 ख0 नं० 7006 रकबा 0.06 ख0 नं0 7007 रकबा 0.06 ख0 नं० 7008 रकबा 0.08 ख0 नं० 7378 रकबा 0.41 ख0 नं0० 7379 रकबा 0.41 ख0 नं0 7380 रकबा 0.28 ख0 नं0 7381 रकबा 0.26 ख0 नं0 7382 रकबा [illegible] ख0 नं0० 7387 रकबा 0.03 ख0 नं0 7388 रकबा 0.60 ख0 नं0 7389 रकबा 0.66 ख0 नं0 7390 रकबा 0.09 जो वाके ग्राम चाकसू पश्चिम पटवार हल्का चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

पश्चिम तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि के साबिक ख0 नं0 1391, 1404, 1405, एवं उक्त ख0 नं० के साबिक ख0 नं0 4785, एवं 4822 थे उक्त भूमि ही उक्त प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि है। प्रार्थीगण के पूर्वज शकूर खाँ, जमालुदीन खाँ एवं जहूर खाँ तीनों सगे भाई थे प्रार्थी सं0 1 ता 4 स्व0 जमालुदीन के वारीसान है, जमालुदीन के पुत्र अब्दुल हफीज के फोत होने पर उनके वारीसान प्रार्थी सं० 1 ता 4 है, प्रार्थी सं० 5 स्व० जहूर मोहम्मद का वारीस है, एवं प्रार्थी सं 6 ता 17 स्व0 अब्दुल शकूर के वारीसान है इस प्रकार प्रार्थीगण स्व0 जमालुदीन खाँ, स्व0 जहुर मोहम्मद, स्व0 शकूर खाँ के वारीसान है तथा उनके उत्तराधिकारी है। प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 जमालुदीन, स्व0 अब्दुल शकूर, स्व0 जहूर मोहम्मद पुत्रान हुसैन खो ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22/12/1969 को सक्षम न्यायालय स्टेट कपीटेन्ट ऑफिसर राजस्थान जयपुर के द्वारा कय की गई थी उक्त भूमि के ख0 नं0 4785, 4788, 4796, 4797, 4807, 4809, 4813, 4815, 4814, 4817, 4819, 4837, 4840, 4844, 4849, 4822, कुंल रकबा 126 बीघा भूमि को निर्धारित राशि के भुगतान के किये जाने पर प्रार्थीगण के पूर्वजों ने कय की थी। जिस पर प्रार्थीगण आज भी अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा कय की गई उक्त भूमि में से ख0 नं0 4785, 4822 जिसके साबिक ख0 नं0० 1391, एवं 1405 जिसके हाल[illegible] 6914 रकबा 5.14 ख0 नं0 6915रकवा 0.28 ख0 नं0 6924 रकबा [illegible] ख0 नं0 6925 रकबा 0.48 ख0नं0 6940 रकबा 0.27 ख0 नं0 69[illegible] रकवा 0.05 ख0 नं० 6942

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

रकबा 0.48 ख नं0 6947 रकबा 0.54 ख0 नं0 6961 रकबा 0.10 ख0 नं0 6992 रकबा 0.42 ख0 नं0 6993 रकबा 0.75 ख09 नं0 6994 रकबा 0.79 ख0 नं0 6995 रकबा 0.28 ख0 नं0 6996 रकबा 0.63 ख0नं0 6997 रकबा 0.02 ख0 नं० 6998 रकबा 0.51 ख0 नं0 6999 रकबा 0.26 ख0 नं0 7000 रकबा 0.43 ख0 नं0 7001 रकबा 0.96 ख0 नं0 7002 रकबा 0.04 ख0 नं० 7003 रकबा 0.07 ख0 नं० 7004 रकबा 0.16 ख0 नं0 7005 रकबा 0.08 ख0 नं० 7006 रकबा 0.06 ख0 नं0 7007 रकबा 0.06 ख0 नं० 7008 रकबा 0.08 ख0 नं० 7378 रकबा 0. 41 ख0 नं0० 7379 रकबा 0.41 खसरा नं0 7380 रकबा 0.28 ख0 नं0 7381 रकबा 0.26 ख0 नं० 7382 रकबा 0.96 ख0 नं0० 7387 रकबा 0. 03 ख0 नं0 7388 रकबा 0.60 ख0 नं0 7389 रकबा 0.66 ख0 नं0 7390 रकबा 0.09 जो वाके ग्राम चाकसू पश्चिम पटवार हल्का चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि को अंप्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकार्ड में फेर बदल करते हुए अपने नाम लगवा ली जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22/12/1969 कय की थी जिसका पंजीयन उप सब रजिस्टार चाकसू के यहाँ दिनांक 17/03/1970 को किया गया इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं था जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा कय की गई भूमि थी के संबंध में अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है अप्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि को अपने नाम लगवा ली है जो कि प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

के अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य व निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण आज भी अपने पूर्वजो द्वारा कय की गई उक्त भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थीगण की नियत में बेईमानी आ गई जिस कारण वे उक्त भूमि को हडपना चाहते है प्रार्थीगण ने जब अप्रार्थीगण को कहा कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पूर्वजो की खरीदी हुई भूमि है तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से ही उल्टा लडाई झगडा प्रारम्भ कर दिया और कहा कि हम तो वैसे ही कब्जा करेंगे तुम्हे करना है सौ कर लो। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण ने ना तो क्रय किया है ना ही आंवटीत हुई है अप्रार्थीगण फर्जी तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि को अपने नाम लगवा ली है जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों की क्रयशुदा भूमि है जिसके संबंध में अप्रार्थीगण को कोई अधिकार हासिल नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी सं0 1 ता 4 का 1/3 हिस्सा एवं प्रार्थी सं 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रार्थी सं० 6 ता 17 का 1/3 हिस्सा है और उसी अनुरूप वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है चुकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजो की क्रय की गई भूमि है तथा जिस पर प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर हक व हिस्सा है प्रार्थी सं० 1 ता 4 को संयुक्त रूप से ,1/3 हिस्से, एवं प्रार्थी सं० 5 का 1/3 हिस्से एवं प्रार्थी सं0 6 ता 17 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

किया जावे एवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थगण की उक्त हक व हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही महाजत पैदा करें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद कारण तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थगण दिनांक 24/09/2018 को मौके पर आये और वादग्रस्त आराजी से प्रार्थगण को बेदखल करने एवं बेचान करने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। प्राथीगण का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है और सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थगण को ता फैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त हक व हिस्से की भूमि वर्णित मद स0 2 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही महाजत पैदा करें ना ही वादग्रस्त आराजी का किसी प्रकार से अन्तरण व बेचान नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी जारी की गयी तो अप्रार्थीगण मय वकील हाजीर आये व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 जिस तरह से लिखा गया है गलत है स्वीकार नही है, इस मद में जो साबिक नम्बर लिखे वो भी सही

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नहीं है लथा खं0 नं0 4785, एवं 4822 अकेले से ही उक्त मद में वर्णित नम्बर नही बने है, इस कारण इस मद मे वर्णित भूमि किसी तरह से बादग्रस्त होना संभव नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का मद ने. 3 जिस तरह से लिखा गया है गलत है स्वीकार नहीं है, प्राथीगण अकेले मात्र स्वर्गीय शकूर खॉ, जमालुदीन खा, जहूर खाँ, के वारिस हो यह तथ्य स्वंय प्रार्थीगण सिद्द करे। प्रार्थना पत्र का मंद नं. 4 पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है इस मद में अंकित विक्रय पत्र पूर्णतया मिथ्या व बोगस दस्तावेज हैं इस मद में अंकित खसरा व रकबा 126 बीघा को प्रार्थीगण के पूर्वजो ने ना ही स्टेट कम्पीटेन्ट आफिसर को उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार था प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कही नहीं बंताया की उक्त भूमि का दिनांक 22.12.1969 को कोन व्यक्ति खातेदार था ? तथा किस खातेदारों के स्थान घर कथित स्टेट कम्पीटेन्ट ऑफिसर को विकय करने का अधिकार था क्या उक्त कथित मिथ्या विक्रय पत्र के आधार पर कोई राजस्व रिकॉर्ड मे कोई अंकन हुआ अगर नही हुआ तो क्यों नहीं हुआ ऐसे कई प्रश्न हे जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किये है ऐसी स्थिति में विस्तुत जवाब दिया जाना संम्भव नहीं है इसके अलावा यहा यह भी लिखना उल्लेखनीय है की इस कथित विकय पत्र की दिनांक को इस कथित विंकय पत्र में अंकित खंसरा नम्बरान अस्तित्व में ही नही थे तथा उस समय एकीकरण के पश्चात के नये खसरा नम्बर आ चुके थे इस तथ्य से भी भलि भाती स्पष्ट होती है की यह विकय पत्र पूर्णतया फर्जी व बनावटी है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है। इस मद में अंकित साबिक व वर्तमान नम्बरों का आपस में मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नहीं होता है प्रार्थीगण का इस मद में यह कहना की अप्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार भूमि नाम लगवा ली हो पूर्णतया गलत है कथित विक्रय पत्र पूर्णतया मिथ्या है जिनकां वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है इसके विपरित वावग्रस्त भूमि संवत्त 1997 राज सवाई जयपुर के समय चकबन्दी रजिस्टर्ड मे इमाम खा, हुसेन खो, पुत्रान पन्नेह खाँ दर हिस्सा बराबर के नाम दर्ज थी यद्यपि दोनो हिस्सा 1/2, 1/2 के स्वामी थे, जिनमे से इमाम खॉ के पुत्र मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज इस्माइल खाँ हुये तथा हुसेन खा के पुत्र जमालुदीन, शकूर व जहूर मोहम्मद हुये इसी अनुसार खतोनी बन्दोबस्त संवत 2004 से 2023 में ही वादग्रस्त भूमि इसमाईल खॉ के हिस्सा 1/2 व शेष तीनो के हिस्सा 1/2 दर्ज थी। अर्थात कथित 126 बीघा में प्रार्थीगण के पूर्वज हिस्सा 1/2 दर्ज थे तथा मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज 1/2 दर्ज थे तथा उक्त भूमि सामलाती भूमि थी इस कारण उक्त नम्बर का क्रय प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा किया जाना कानूनी रूप से संम्भव नहीं था संवत 2004 से 2023 मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड निम्न अनुसार था।

(क) प्रार्थीगण के खाते की जमीन जमालुदीन, अब्दुल शकूर व जहुर मोहम्मद पुत्रान हुसैन खाँ अकबाम मुसलमान सा देह खसरा नं0 4791 से 4795, 4800 4811, 4812, 4818, 4842, 4843, 4845, 4846, 4850, 4851, 4853. 4855, 4856, कुल किता 18, कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

(ख) अप्रार्थीगण के खाते की जमीन इस्माइल खाँ पुत्र इमाम खाँ अकबाम मुसलमान सा. देह खसरा नम्बर 4789, 4790. 4798, 4799,

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड ... (जयपुर)

4801 से 4803, 4808, 4810, 4814, 4847, 4848, 4852, 4854, 4857, 4658, कुल किता 16 कूल रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा

(ग) शामलाती खाते की जमीन

इस्माइल खो वल्द इमाम खाँ, जमालुदीन अब्दुल शकूर, जहूर मोहम्मद, पिसरान हुसैन खाँ अकबदान मुसलमान सा. देह हिस्सा बराबर खसरा नं0 4785, 4788, 4796, 4797, 4807, 4843, 4815, से 4817, 4819, 4837, 4840, 4844, 4849, 4822, कूल किता 16 कुल रकबा 126 बीघा इस प्रकार शामलाती खाते की 1/2 हिस्से की जमीन सहित कूल 100 बीघा 13 बिस्वा पर अप्रार्थीगण व उसके पूर्वज काबिज थे तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण 95 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर काबिज थे हो इसी अकार आज त्तक काबिज काश्त चले आ रहे है। इसके पश्चात मप्रबन्ध विभाग की कार्यवाही हुई जिसमे भूप्रबन्ध विभाग ने मौका स्थिति के विपरित जाकर गलत राजस्व रिकार्ड बना दिया तथा सभी तीनो खातों के नम्बरो को वास्तविकता से परे जाकर रिकार्ड में गलत नाम दर्ज कर दिये तथा प्रतिवादीगण के हिस्से में आने वाली 100 बीघा 14 बिस्वा भूमि ही अप्रार्थीगण के नाम लगा दी इसी प्रकार प्रार्थीगण के नाम लगा दी इसी प्रकार प्रार्थीगण के खाते में 95 बीघा 12 बिस्वा भूमि आनी चाहियें थी किन्तु उनके खाते में 101 बीघा 2 बिस्वा भूमि लगा दी जो भूमि संवत 2023 में अप्रार्थीगण के पिता इस्माईल खां के नाम [illegible] 2023 में अप्रार्थीगण के पिता इस्माईल खां के [illegible] 1397, 1405 कुल किता 3 कुल रकबा 93 बीघा 5 बिस्वा [illegible] प्रार्थीगण व इनके पूर्वज के नाम खसरा नम्बर 1385, 1388, 1395, 1402, 1404, कुल किता 5 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड [illegible] (जयपुर)

रकबा 99 बीघा 13 बिस्वा भूमि थी तथा शामलाती खाते में दोनों के हिस्सा बराबर खसरा नं0 1400, 1401, 1392, 1393, 1396 कुल किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा थे। इसी प्रकार एकीकरण के पश्चात बनने वाले पर्चे में भी खं0 नं0 3391, खं0 नं0 3397, ये खं0 नं0 1405 कूल किता 3 रकबा 93 बीघा 5 बिस्वा मिन अंप्रार्थीगण के पूर्वज इस्माइल खाँ के नाम दर्ज हुई थी तथा उसके बाद से आज तक उसी अनुरूप विरासत नामान्तकरण खुलते आये है जो की लगातार दर्ज है इसके अलावा यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि एकीकरण की कार्यवाही के अनुसार हालाकि दोनो पक्षो के बीच सरकारी नियमों के अनुसार होकर दोनों पक्षो के नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई थी किन्तु एकीकरण की कार्यवाही रकबे के अन्तर की वजह से एवं मौके पर कब्जे के आधार पर सही नही हुई थी तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एकीकरण की कार्यवाही के बावजूद मौके पर एकीकरण से पूर्व की भाति काबिज काश्त चले आ रहे थे जो कब्जा व उपयोग उपभोग आज दिनांक तक उसी अनुरूप है जो की दोनो पक्षों की जानकारी में बिना किसी बाधा के बेरोंकटोक है रिकॉर्ड व मौके मे अन्तर की वजह से पक्षकारों मे विवाद बढ रहा था इस पर हाल अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड को एकीकरण से पूर्व की भाति के कब्जे अनुसार किये जाने हेतु एक दावा न्यायालय श्रीमान के समक्ष गुलशेर बनाम जहूर मोहम्मद के नाम से मुकदमा नं0 177/2008 प्रस्तुत किया तथा उक्त दावे में हाल प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण उपस्थित आये तथा अपना जवाब [illegible] जवाब दावे मे हाल प्रार्थीगण ने एकीकरण से पूर्व व ए[illegible]करण के पश्चात के राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

रिकॉर्ड को सही बताया तथा एकीकरण मे जमीन कम ज्यादा होने का कारण जमीनो की कीमत बताया उस दावे में दोनो पक्षो की साक्ष्य हुई जिस साक्ष्य में हाल प्रार्थीगण बतोर अप्रार्थीगण साक्ष्य में उपस्थित आये जिन्होंने अपनी साक्ष्य ने राजस्व रिकॉर्ड व मौके में अन्तर होना स्वीकार किया था बाद साक्ष्य उक्त दावा डिक्री हुआ अर्थात हाल अप्रार्थीगण के पक्ष ने दिनांक 16.01.2017 को निर्णित हुआ जिसकी वर्तमान मे द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है, इस प्रकार उस पूर्व दावे मे प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड मे हाल अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने पर कभी भी आपत्ति नही की थी ना किसी प्रकार के कथित विक्रय पत्र का जिक्र किया गया था। ऐसे मे प्रार्थगण धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अपने पूर्व कथन व आचरण से एस्टोप्ड है इस आधार पर भी प्रार्थीगण का दावा खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 पूर्णतया– गलत है स्वीकार नहीं हैं प्राथीगण के पूवर्जो द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी भूमि क्रय नहीं की गई थी ना ही कथित विक्रेता को ऐसा विक्रय पत्र करने का अधिकार था प्रार्थीगण ने इस मंद में ख0 नं0 अपने मन से बिना वजह अंकित किये है प्रार्थीगण का यह कहना की अप्रार्थगण ने बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल कर जमीन अपने नाम लगवा ली हो पूर्णतया गलत है वादग्रस्त भूमि मिन अप्रार्थीगण के नाम अपने दादा के समय से है अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पहले से ही उक्त – भूमि अप्रार्थीगण [illegible] के पूर्वजों के नाम रही है प्रार्थीगण ने यह नहीं [illegible] से रिकॉर्ड में किस प्रकार फेरबदल किया है जहॉ तक [illegible]क्रय पत्र दिनांक 22.12.1969

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जिसका पंजीयन 13.03.1970 को बताया गया है पूर्णतया गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्योंकि विक्रेता को उक्त भूमि भूमि बेचने का किसी भी प्रकार का काई हक अधिकार नही था ना हीं प्रार्थीगण ने पूरे दावे में यह बताया हैं कि विक्रेता किस आधार पर भूमि विक्रय करने का अधिकारी था ऐसे में विस्तृत जवाब दिया जाना सम्भव नही है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संवत 2004 से 2023 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है यह स्वय प्रार्थीगण ने पूर्व के प्रकरण मे सशपथ स्वीकार किया है इस कारण इस मद में अकिंत तथ्य लडाई झगडा करने जेसी बाते अपने आप ही मिथ्या साबित हो जाती है। प्रार्थना पत्र का मंद नं. 8 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉडेर्ड काश्तकार है जो खातेदारी राजसवाई जयपुर के समय से चली आ रही है प्रार्थीगण ने कोई भी फर्जी कार्यवाही नही की है प्रार्थी को ऐसी कथित कार्यवाही के बाबत स्पष्ट रूप से वर्णित करना चाहिये था किन्तु चुकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतया मिथ्या है इस कारण उन्होंने सरसरी तोर पर ही यह दावा प्रस्तुत कर दिया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मंद नं. 9 पूणतर्या गलत है स्वीकार नहीं है ना तो प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई है ना ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है इस कारण प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की घोषणा या स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 10 गलत है स्वीकार नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया साबित नहीं है तथा वादग्रस्त स्थल पर मिन अप्रार्थीगण का कब्जा व उपयोग उपभोग है ऐसी स्थिति मे सुविधा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

लाना सन्तुलन मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है, मिन अप्रार्थी को किसी प्रकार पाबन्द किया गया तो उसकी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकेगी। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हेर्जा खर्चा खारिज 5 जहूर मोहम्मद फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वजों शकूर खॉ, जमालूदीन खॉ, जहूर खॉ, तीनो सगे भाई थे प्रार्थी संख्या 1 से 4 जमालूद्दीन खॉ के वारिस है इसके फौत होने पर प्रार्थी संख्या 5 जहूर मोहम्मद का वारिस है व 6 से 17 अब्दूल शकूर के वारिसान है प्रार्थीगण जमालूद्दीन जहूर मोहम्मद शकूर खॉ के वारिस है, प्रार्थीगण के पूर्वज ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.12.69 को सक्षम न्यायालय स्टेट कम्पीटेंट ऑफिसर राजस्थान जयपुर के द्वारा भूमि क्रय की गयी थी जो 126 बीघा भूमि को निर्धारित राशि के भुगतान किये जाने पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करते हुये अपने नाम लगवा ली। जबकि प्रार्थीगण के पूर्वज विक्रय पत्र दिनांक 22.12.69 को क्रय की थी जिसका पंजियन सब रजिस्ट्रार चाकसू के यहॉ 17.03. 1970 को किया गया है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि है, वादग्रस्त आराजी पूर्वजों [illegible] शुदा भूमि है जिस पर वादीगण का कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण की भली

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

प्रकार से साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। जवाब बहस में वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी वकील की बहस का खंडन करते हयु जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि विक्रय पत्र पूर्णतया मिथ्या व बोगस दस्तावेज है इस मद नं0 4 में अंकित खसरा नम्बर व रकबा 126 बीघा को प्रार्थीगण के पूर्वजों ने ना तो क्रय किया था ना ही कब्जा काश्त है। ना ही स्टेट कम्पीटेन्ट ऑफिसर को उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार था, न ही प्रार्थी ने यह बताया कि 22.12.1969 को कौन व्यक्ति खातेदार व किस तरह खातेदारों के स्थान पर स्टेट कम्पीटेंट ऑफिसर को विक्रय करने का अधिकार था, मिथ्या विक्रय पत्र के आधार पर कोई राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ अगर नही हुआ होतो क्यों नही हुआ, ऐसे कई प्रश्न जो प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया। विक्रय पत्र की दिनांक को इस कथित विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बर अस्तित्व में नही थे उस समय एकीकरण के पश्चात में नये खसरा नम्बर आ चुके थे। इस तथ्य से भली प्रकार स्पष्ट होता है कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी है अंकित साबिक व वर्तमान नंबरों का आपस में मिलान नही होता है वादग्रस्त भूमि संवत 1997 राज सवाई जयपुर के समय चकबंदी रजिस्टर्ड में इमाम खॉ, हुसेन खॉ पुत्रान पन्ने खां दर हिस्सा बराबर नाम दर्ज है यद्यपि दोनो हि के स्वामी थे इमाम खॉ के पुत्र मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज है इस्माईल खॉ हुये हुसेन ख[illegible] जमालूद्दी शकूर व जहूर मोहम्मद हुये इसी अनु[illegible] 2004 से 2023 में ही वादग्रस्त भूमि इस्माईल खां का हिस्स[illegible]1/2 व शेष तीनो का 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

दर्ज थी, अर्थात 126 बीघा में प्रार्थीगण के पूर्वज का 1/2 दर्ज थी, उक्त भूमि शामलाती भूमि थी। इस कारण उक्त नम्बर का क्रम प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा किया जाना कानूनी रूप से संभव नही था, संवत 2004 से 2023 में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार खातेदार थे। शामलाती खातेदारी खाते की 1/2 हिस्से की जमीन सहित कुल 100 बीघा पर अप्रार्थीगण व उसके पूर्वज काबिज है। इसी अनुसार 95 बीघा पर प्रार्थीगण काबिज है। भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके के विपरीत जाकर गलत राजस्व रिकार्ड बना दिया तथा सभी तीनो खातो के नम्बरों को वास्तविकता परे जाकर रिकार्ड में गलत नाम दर्ज कर दिया। शामलाती खाते में दोनो के हिस्सा बराबर था। मोके पर अन्तर की वजह से पक्षकारों के विवाद बढ रहा था अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड को एकीकरण से पूर्व की भांति के कब्जे अनुसार किये जाने हेतु एक दावा श्रीमान के समक्ष गुलशेर बनाम जहूर मोहम्मद के नाम से मुकदमा नम्बर 177/08 किया उस दावे में प्रार्थीगण बहैसियत अप्रार्थीगण उपस्थित आये प्रार्थीगण ने एकीकरण से पूर्व व एकीकरण के पश्चात राजस्व रिकार्ड को सही बताया व एकीकरण में जमीन कम ज्यादा होने के कारण जमीनो की कीमत बताया। प्रार्थीगण बतौर साक्ष्य में राजस्व रिकार्ड व मौके में अंतर होना स्वीकार किया, दावा डिक्री हुआ। इस प्रकार पूर्व दावे में प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में हाल अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने पर कभी भी आपत्ति नही की ना ही कथित वि[illegible] का जिक्र किया। ऐसे में प्रार्थीगण धारा 155 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अपने पूर्व कथन पर आचरण से एस्टोप्ड है। अतः प्रार्थीगण [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जावे। क्योंकि प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति उपरोक्त विवेचन से अप्रार्थीगण के पक्ष में भली प्रकार साबित है।

पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्ष्ज्ञण किया गया तो विक्रय पत्र पूर्णतया मिथ्या व बोगस दस्तावेज है, अंकित रकबा 126 बीघा को पूर्वजों ने ना तो क्रय किया था ना ही उनका कब्जा काश्त है ना ही स्टेट कम्पीटेंट ऑफिसर को उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार था न ही प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नही बताया कि उक्त भूमि का दिनांक 22.12.1969 को कौन व्यक्ति खातेदार था तथा किस तरह खातेदारों के स्थान पर कथित कम्पीटेंट ऑफिसर को विक्रय करने का अधिकार था विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ अगर नही हुआ तो क्यों नही हुआ जो प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया, कथित विक्रय पत्र की दिनांक को इस विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बरान अस्तित्व में नही थे तथा उस समय एकीकरण के पश्चात नये खसरा नम्बर आ चुके थे जो भली भांति स्पष्ट है अंकित साबित व वर्तमान नम्बरों का आपस में मिलान नही होता है में कहना भी गलत है कि अप्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के भूमि अपने नाम लगवा ली हो, वादग्रस्त भूमि सम्वत 1997 भाग सवाई जयपुर के समय चकबन्दी रजिस्ट्रर में इमाम खॉ, हुसैन खॉ पुत्रान पन्ने खॉ, दर हिस्सा बराबर नाम दर्ज थी। खतौनी बन्दोबस्त 2004 से 2023 में वादग्रस्त भूमि इ[illegible] खां हिस्सा 1/2 शेष तीों का हिस्सा 1/2 दर्ज[illegible]प्रार्थीगण के पूर्वज हिस्सा 1/2 दर्ज थे उक्त भूमि शाम[illegible] भूमि थी, इस कारण उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

नम्बर का क्रय प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा किया जाना कानूनी रूप से संभव नही था। भूप्रबन्ध विभाग की कार्यवाही हुयी जिसमें भूप्रबन्धन विभाग ने मौका स्थिति के विपरीत जाकर गलत राजस्व रिकार्ड नाम दर्ज कर दिये प्रतिवादीण के हिस्से में आनेवाली भूमि के स्थान पर क्रय भूमि लगाई व मौके पर जिन नम्बरों पर कब्जे थे अप्रार्थीगण ने कब्जे वाली भूमि अप्रार्थीगण के नाम लगादी। इस प्रकार न तो प्रार्थीगण साबित कर पाये कि कौनसी भूमि के खसरा नम्बर की भूमि हमारी है न ही प्रतिवादीगण सही रूप से साबित कर पाये कि हमारे हिस्से की कौनसी जमीन है व किस प्रकार हक व अधिकार बनता है जबकि प्रार्थीगण ने भली प्रकार से प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्ण रूपेण सफल रहें है। अगर प्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को जबरन बेदखल कर देंगे व वादग्रस्त जमीन को बेचार कर देंगे जिसे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई होना संभव नही होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बरान में बार –बार परिवर्तम्न होने से किस पक्ष के हिस्से में कौनसे नम्बर हिस्से में आ रहे है ये पक्षकारान द्वारा साबित नही हो पा रहा है कि कौन से नम्बर आ रहे है ये भली प्रकार साबित नही हो पा रहे है कि मौके पर किसी प्रकार विवाद न हो एवं शांति व्यवस्था बनी रहे ऐसी स्थिति में दोनो पक्षो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है। ताकि एक दूसरा ... काश्त में दखलदांजी नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो पक्षो को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि स्थगन आदेश दिनांक 28.09.2018 में अंकित खसरा नम्बर 6914, 6915, 6924, 6925, 6940, 6941, 6942, 6947, 6961, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7387, 7388, 7389, 7390 वाके ग्राम कस्बा चाकसू का बेचान नही करे व राजस्व रिकार्ड की यथा – स्थिति बनाये रखें एवं दोनो पक्ष एक दूसरे के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:54 IST
Reason: SelfAttested